

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या  
12/59/2017

प्रवेश तिथि  
29-05-2017

निर्णय दिनांक  
15-01-2019

01-शिमभू

02-भैरू,

03-हनुमानसहाय पुत्रान बन्शी जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दुहारचौगान, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01-नायब तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार थानागाजी  
दिनांक 25.01.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 161/2016

उपस्थित:-

01-श्री के. के. शर्मा

-वकील अपीलाण्ट



-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नारायणपुर के आदेश दिनांक 25.01.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम दुहार चौगान की गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 622/0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम दुहार चौगान की गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 622/0.01 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2016 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरुद्ध दिनांक 11.05.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। सिविल न्यायालय का जो भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उस पर विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन )

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान)